मो. सईद सिद्दीकी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 410/2012)

अप्रैल 24, 2014.

[पी. सदाशिवम, सीजेआई.., रंजन गोगोई और

एन.वी. रमन्ना, जे.जे.]

उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975:

धारा 5(1), 5(3)-उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त

(संशोधन) अधिनियम, 2012-प्रतिवादी संख्या 2 एक लोकायुक्त के रूप में 1975 अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था- प्रतिवादी संख्या 2 का कार्यकाल धारा 5 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत छह साल की अवधि पूर्ण होकर दिनांक 15.03.2012 को समाप्त हो गया

-संशोधन अधिनियम 2012 लागू किया गया और लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त का कार्यकाल को छह वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष कर दिया गया या जब तक उसका उत्तराधिकारी अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता-रिट याचिका

प्रतिवादी क्रमांक 2 को लोकायुक्त के रूप में

15.03.2012 के बाद जारी रखने को चुनौती

- निर्धारित: रखी गई सामग्री से स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा है कि संशोधन अधिनियम 2012 एक सक्षमविधायिका द्वारा लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त का कार्यकाल आठ वर्षों,चाहे वर्तमान हों या भविष्य में,करने के विधायी इरादे से अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था लोकायुक्त और उपलोकायुक्त का कार्यकाल छह वर्ष से आठ वर्ष तक का बढ़ाने की बात विधायी नीति का मामला है और इसे यह कहकर सीमित नहीं किया जा सकता कि यह केवल प्रतिवादी संख्या 2 के लाभ के लिए अधिनियमित किया गया। -इस प्रकार,

प्रतिवादी क्रमांक 2 ने सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित वैध कानून के तहत विधिवत लोकायुक्त का पद धारण किया

-हालाँकि, राज्य को लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त के पद के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नए योग्य व्यक्ति के चयन के सभी प्रयास करने का निर्देश दिया गया

विधान: विधेयक-उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका

५८० मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ५८१

[पी. सदाशिवम, सीजेआई]

इस आधार पर कि वह विधेयक जिसके कारण संशोधन अधिनियम 2012 लागू हुआ भारत के संविधान का अनुच्छेद 197 और 198 का उल्लंघन करते हुए धन विधेयक के रूप में पारित किया गया

जो दोनों सदनों अर्थात् उ.प्र. विधान सभा एवं विधान परिषद द्वारा पारित होना चाहिए था केवल विधान सभा द्वारा ही गलत तरीके से पारित किया गया

अभिनिर्धारित: यह प्रश्न कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं,केवल विधान सभा के सदस्य द्वारा ही जब विधेयक राज्य विधानमंडल में लंबित हो तो इसके अधिनियम बनने से पहले उठाया जा सकता है कोई नियम नहीं है यदि किसी मूल अधिनियम में विधेयक धन विधेयक नहीं था तो बाद में मूल अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक धन विधेयक नहीं होगा - किसी क़ानून को अधिनियमित करने की प्रक्रिया में कमज़ोरी के मामले में, उस क़ानून को अमान्य नहीं करता जिसके लिए सहमति राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसा भी मामला हो,द्वारा दी जा चूकि हो प्रशासनिक कानून: न्यायिक समीक्षा-राज्य की विधायिका की कार्यवाही एवं अध्यक्ष का निर्णय -न्यायिक पूनर्विलोकन का क्षेत्र -चर्चा की गई।

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 212-अध्यक्ष का निर्णय

-निर्धारित: यदि विधान सभा अध्यक्ष निर्णय करता है कि विचाराधीन विधेयक धन विधेयक है तो ऐसा निर्णय पर विवाद नहीं किया

जा सकता और न ही राज्य विधायिका की ऐसी प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा सकता

प्रतिवादी नं. 2 को 16.03.2006 को उत्तर प्रदेश राज्य लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया

अधिनियम की धारा 5(1) में प्रावधान है कि लोकायुक्त उस तिथि से छह वर्ष तक पद पर रहेंगे

जिस तिथि से वह अपना कार्यभार गर्हण करता है।

इसके अलावा, धारा 5(3)

बशर्ते कि पद पर बने न रहने पर लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त,चाहे लोकायुक्त के रूप में हो या उप-लोकायुक्त के रूप में या किसी अन्य पद पर उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आगे की नियुक्ति के लिए अयोग्य होंगे,

582 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 5 एस.सी.आर.

प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना छह वर्ष का कार्यकाल 15.03.2012 को पूरा कर लिया 15.03.2012 को उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ उसी दिन, अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश कैबिनेट द्वारा पारित कर सहमति हेतु उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भेजा गया। हालाँकि, उसे राज्यपाल की सहमति प्राप्त नहीं हुई

18.03.2012 को दूसरा इसी विषय पर अध्यादेश राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा गया और सहमति प्राप्त होने के बाद वही प्रकाशित किया गया जो 22.03.2012 से प्रभाव मे आया। उक्त अध्यादेश के अंतर्गत अधिनियम की धारा 5(1) में संशोधन किया गया और 15.03.2012 से लोकायुक्त के कार्यकाल की अवधि को आठ वर्ष तक बढ़ा दिया गया इसके बाद, उत्तर प्रदेश राज्य ने संशोधन अधिनियम बनाया जो राज्यपाल की सहमति दिनांक 06.07.2012 को प्राप्त करता है उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा, यूपी लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का कार्यकाल छ: वर्ष से आठ वर्ष तक बढ़ाया गया या जबतक उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश नही करता है। उक्त संशोधन अधिनियम के तहत लोकायुक्तों या उप-लोकायुक्तों की अयोग्यता,उत्तर प्रदेश राज्य में आगे की नियुक्ति के लिए केवल उक्त पद पर नही रहने पर,को सीमित करने की भी व्यवस्था की गई है और उक्त प्रावधानों को मौजूदा लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, जैसा भी मामला हो पर लागू करने के लिए,उक्त अध्यादेश के प्रारंभ होने की तिथि, अर्थात 15.03.2012 से ।

इन मामलों में चुनौती उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन), 2012 की संवैधानिक वैधता और प्रतिवादी संख्या 2 की 15.03.2012 के बाद लोकायुक्त के रूप में निरंतरता को लेकर थी

याचिकाकर्ता की मुख्य आशंका थी

वह विधेयक जिसके कारण संशोधन अधिनियम लागू हुआ भारत के संविधान के अनुच्छेद 197 और 198 का उल्लंघन करते हुए अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया जो दोनों सदनों द्वारा पारित किया होना चाहिए, अर्थात उत्तर प्रदेश

मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 583

[पी. सदाशिवम, सीजेआई]

विधानसभा एवं उ.प्र. विधान परिषद् और गलती से केवल यूपी विधानसभा द्वारा पारित।

रिट याचिकाओं एवं अपील का निस्तारण करते हुए अदालत ने

निर्धारित किया: 1. प्रतिवादी संख्या 2 को उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 के अंतर्गत लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था प्रतिवादी क्रमांक 2 का कार्यकाल उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत छह साल की अवधि पूर्ण होकर दिनांक 15.03.2012 को समाप्त हो गया और लोकायुक्त के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निर्णय नही लिया गया था और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने में समय लगेगा,

लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की छह वर्ष से आठ वर्ष तक की अवधि या जब तक उसका उत्तराधिकारी उसके पद पर प्रवेश नहीं कर लेता अवधि

बढ़ाने का प्रावधान करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया ।

रखी गई सामग्रियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संशोधन अधिनियम एक सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त चाहे वर्तमान हो या भविष्य के, को आठ वर्ष का कार्यकाल प्रदान करने के इरादे के साथ अधिनियमित किया गया था ।

उक्त विस्तार लोकायुक्त और उपलोकायुक्त का कार्यकाल छह से साल से आठ साल तक करना विधायी नीति का मामला है और यह कहकर इसे सीमित नहीं किया जा सकता कि यह केवल प्रतिवादी संख्या 2 के लाभ के लिए अधिनियमित किया गया। [पैरा 27, 41) [596-सी-ई; 604-एफ-एच]

2. संविधान का अनुच्छेद 212 यह स्पष्ट करता है कि अध्यक्ष के निर्णय की अंतिमता और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही राज्य विधायिका का महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है, अर्थात् बोलने की स्वतंत्रता, बहस और कार्यवाही की जांच न्यायालयों द्वारा नहीं की जानी चाहिए

"विधानमंडल की कार्यवाही" में शामिल है किसी भी सदन में कही गई या की गई हर बात जो संसदीय कार्यवाही के लेन-देन में, वर्तमान मामले में

584 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 5 एस.सी.आर.

संशोधन अधिनियम का अधिनियमन है। इसके अलावा, अनुच्छेद 212 न्यायालयों को विधेयक पारित करने की प्रक्रिया का अनुपालन न करने के आधार पर, या अन्यथा सदन द्वारा पारित विधेयक बी पर सवाल उठाने के आधार पर राज्यपाल की सहमति के लिए विधेयक की प्रस्तुति में हस्तक्षेप करने से रोकता है। विधानमंडल के अंदर की कार्यवाही को इस आधार पर प्रश्नांकित नहीं किया जा सकता है कि वे व्यवसाय के नियमों के अनुसार नहीं की गई हैं। यह अनुच्छेद 194 से भी स्पष्ट है जो सी विधानमंडल के सदन और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों के बारे में बताता है। [पैरा 33] [602-बी-ई]

2. अनुच्छेद 199(3) के संदर्भ में, विधान सभा के अध्यक्ष का निर्णय कि विचाराधीन विधेयक एक धन विधेयक है, अंतिम है और उक्त निर्णय पर विवाद नहीं किया जा सकता है और न ही राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा सकता है। अनुच्छेद 212. भले ही यह स्थापित हो कि संविधान के अनुच्छेद 255 के संदर्भ में, संशोधन अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया में कुछ खामियां थीं, प्रक्रियाओं के मामले उस अधिनियम को अमान्य नहीं करते हैं जिस पर राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, द्वारा सहमति दी गई है इसके अलावा, यह सवाल कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, केवल राज्य विधान सभा में उसके किसी सदस्य द्वारा उठाया जा सकता है जब विधेयक राज्य विधानमंडल में लंबित हो और अधिनियम बनने से पहले हो। मौजूदा

मामले में किसी ने भी ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया। [पैरा 34, 35, 37] [602-एफ-एच; 603-ए, ई-एफ]

राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष लोक सभा एवं अन्य। (2007) 3 एससीसी 184: 2007 (1) एससीआर 317; एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा एआईआर 1960 एससी 1186; मैंगलोर गणेश बीड़ी वर्क्स बनाम मैसूर राज्य और अन्य। एआईआर 1963 एससी 589: 1963 सप्ल. एससीआर 275; के. कामराज नादर बनाम कुंजू थेवर एआईआर 1958 एससी 687: 1959 एससीआर 583 पर आधारित।

मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

585

[पी. सदाशिवम, सीजेआई]

3. संविधान के भाग VI का अध्याय III राज्य विधानमंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों के गठन से संबंधित है। उक्त अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान सभा और विधान परिषद शामिल हैं। किसी विधेयक पर राज्यपाल की सहमति के बाद, परिणामी अधिनियम राज्य विधानमंडल का अधिनियम होता है, जिसके सदनों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है, विधेयक के पारित होने और संशोधन अधिनियम के अधिनियमन में कोई खामी नहीं थी। यह दावा

किया गया था कि विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करके संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता था क्योंकि मूल अधिनियम विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करके अधिनियमित नहीं किया गया था। ऐसा कोई नियम नहीं है कि यदि मूल अधिनियम के मामले में विधेयक धन विधेयक नहीं था, तो मूल अधिनियम में संशोधन के लिए कोई भी अगला विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है। इस अधिनियम को पहले यूपी लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा संशोधित किया गया था। और इसे धन विधेयक पारित करके अधिनियमित किया गया था। 1988 के उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा, अधिनियम की धारा 5(1) में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया कि लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त का कार्यकाल पांच वर्ष के बजाय छह वर्ष होगा। [पैरा 39,40] [603-एच; 604-ए-डी]

4. संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी करने के संबंध में, एक विचारणीय खंड/कानूनी कल्पना को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए और इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए। कानूनी कल्पना का प्रभाव यह है कि जो पद अन्यथा प्राप्त नहीं होता, वह उन परिस्थितियों में प्राप्त माना जाता है। [पैरा 41] [604-ई-एफ]

5. प्रतिवादी संख्या 2 विधिवत लोकायुक्त, उ.प्र. का पद संभाल रहा है। सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित एक वैध कानून के तहत, अर्थात उत्तर

प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975, जिसे उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित किया गया है। हालाँकि, राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह

586 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 5 एस.सी.आर.

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त कार्यालय के लिए नए पदाधिकारी का चयन करने का सभी प्रयास किया जावे। [पैरा 43] [605-सी-डी]

केस कानून संदर्भः

2007 (1) एससीआर 317 पर भरोसा	पैरा 34
एआईआर 1960 एससी 1186 पर निर्भर	पैरा 36
1963 सप्ल एससीआर 275 पर निर्भर	पैरा 36
1959 एससीआर 583 पर निर्भर	पैरा 41

सिविल मूल क्षेत्राधिकारः भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका (सिविल) संख्या 410 /2012।

साथ

2013 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 289, 2012 की 228, 2014 की सिविल अपील संख्या 4853, टी.सी. (सी) संख्या. 2013 का 74, 2012 का

1228 और 1230, 2012 का 1248 और 1250, 2012 का 1425 2012 का 1412-1413।

अशोक एच.देसाई, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, के.के. वेणुगोपाल, डॉ. राजीव धवन, बसवा प्रभु पाटिल, एस.बी. सान्याल, मीनाक्षी अरोड़ा, गौरव भाटिया, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, विभु तिवारी, अभिनव के. मलिक, प्रेरणा कुमारी, कबीर एफ दीक्षित, राजीव सिंह, प्रकाश कुमार सिंह, विजया लक्ष्मी, सुरुची अग्रवाल, राजीव सिंह, अंकुर तलवार, निखिल नैय्यर, अंबुज अग्रवाल, आकांक्षा, समीर अली खान, के.के. मोहन, डॉ. राजीव शर्मा, चन्द्र शेखर, धर्मेन्द्र शर्मा, एस.के. डे, मंजूषा वाधवा, तुलिका प्रकाश, अकरम, रामेश्वर जी प्रसाद गोयल, ओंकार श्रीवास्तव उपस्थित पक्षकारो के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

पी. सदाशिवम, सीजेआई.

रिट याचिका (सी) 2012 की संख्या 410

मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

५८७

[पी. सदाशिवम, सीजेआई]

1) उपरोक्त रिट याचिका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के लोकायुक्त, प्रतिवादी संख्या श्री न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा (सेवानिवृत्त) के खिलाफ 15.03.2012 के बाद

लोकायुक्त के रूप में बने रहने के विरुध अधिकार वारंट की रिट की मांग करते हुए दायर की गई है । याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 (संक्षेप में "संशोधन अधिनियम ") की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दे रहा है, जितना भारत के संविधान के प्रावधानों के दायरे से बाहर है।

2) संक्षिप्त तथ्य:

(ए) श्री न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा (सेवानिवृत्त), प्रतिवादी संख्या 2, को उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 के तहत 16.03.2006 को उत्तर प्रदेश राज्य के लिए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। (संक्षेप में " अधिनियम ")।

(बी) अधिनियम की धारा 5(1) में प्रावधान है कि लोकायुक्त जिस पद पर पद धारण करेगा, उसकी अवधि उसके कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से छह वर्ष है। इसके अलावा, धारा 5(3) में प्रावधान है कि पद छोड़ने पर, लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त आगे की नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा, चाहे लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के रूप में या उत्तर प्रदेश सरकार के तहत किसी अन्य क्षमता में। प्रतिवादी नंबर 2 ने 15.03.2012 को अपना छह साल का कार्यकाल पूरा किया।

(सी) 15.03.2012 को उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ। उसी दिन, अधिनियम में संशोधन के लिए एक

अध्यादेश कैबिनेट द्वारा पारित किया गया और सहमति के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भेजा गया। हालाँकि, इसे राज्यपाल की सहमति नहीं मिली।

(डी) 18.03.2012 को, इसी विषय पर एक और अध्यादेश राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा गया था और राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के बाद, इसे प्रकाशित किया गया था जो 22.03.2012 से लागू हुआ।

उक्त अध्यादेश के तहत, अधिनियम की धारा 5(1) में संशोधन किया गया

५८८ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 5 एस.सी.आर. और लोकायुक्त का कार्यकाल 15.03.2012 से आठ वर्ष तक बढ़ा दिया गया।

(ई) इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1-उत्तर प्रदेश राज्य ने संशोधन अधिनियम बनाया, जिसे 06.07.2012 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई। उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा, यूपी लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त का कार्यकाल छह साल से बढ़ाकर आठ साल या उत्तराधिकारी के अपने कार्यालय में प्रवेश करने तक बढ़ा दिया गया था। उक्त संशोधन अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार के तहत आगे की नियुक्ति के लिए लोकायुक्तों या उप-लोकायुक्तों की अयोग्यता को केवल उनके पद पर नही रहने पर ही सीमित करने का प्रयास करता है और उक्त प्रावधानों को वर्तमान लोकायुक्त या उप-

लोकायुक्तों पर लागू करने का भी ।- जैसा भी मामला हो, उक्त अध्यादेश के प्रारंभ होने की तिथि अर्थात 15.03.2012 से।

(एफ) उक्त संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के माध्यम से हमारे सामने है।

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा 2012 की रिट याचिका (सी) संख्या 228 और 2013 की 289 में इसी तरह की प्रार्थना की गई है। इसी तरह की याचिकाएं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में शामिल मुद्दों की समानता को देखते हुए, स्थानांतरण याचिकाएँ, जैसे 2012 की टीपी (सी) संख्या 1228 और 1230, 2012 की टीपी (सी) संख्या 1248 और 1250, टीपी (सी) संख्या 1425 2012 की और 2012 की टीपी (सी) संख्या 1412-1413 इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं। हालाँकि, 2012 के टीपी (सी) नंबर 1229 को 01.02.2013 के एक आदेश द्वारा इस न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था और तदनुसार, इसे 2013 के टीसी (सी) नंबर 74 के रूप में क्रमांकित किया गया है।

सिविल अपील @ एसएलपी (सी) संख्या 27319 / 2012

4) विशेष अनुमति याचिका मे अनुमति दी गई ।

5) यह अपील दिनांक 27.08.2012 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ दवारा रिट याचिका संख्या 24905/2012 मे पारित आदेश के विरुद्ध निर्देशित है

मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

५८९

[पी. सदाशिवम, सीजेआई]

जिसके तहत उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में संशोधन आवेदन की अनुमति देते हुए और रिट याचिका को कायम रखने योग्य मानते हुए याचिका को योग्यता के आधार पर सुनवाई के लिए 27.09.2012 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

6) उक्त संशोधन आवेदन के माध्यम से, रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में दो आधार जोड़ने की मांग की, अर्थात, संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है और इसे गलत तरीके से धन विधेयक के रूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना में पेश किया गया था। । तदनुसार, संशोधन अधिनियम को भारत के संविधान के प्रावधानों के दायरे से बाहर घोषित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई थी।

7) दिनांक 27.08.2012 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, यूपी राज्य ने विशेष अनुमति के माध्यम से उपरोक्त अपील दायर की है।

8) दिनांक 24.09.2012 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने 2012 के सीएमडब्ल्यूपी संख्या 24905 में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

9) 2012 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 228 और 410 में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री केके वेणुगोपाल, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अशोक एच. देसाई, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी को सुना। डॉ. राजीव धवन, वरिष्ठ वकील वास्ते श्री न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा (सेवानिवृत्त), प्रतिवादी नंबर 2, 2012 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 228 और 410 के लिए,को सुना ।

तर्क:

10) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री केके वेणुगोपाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि, संशोधन अधिनियम के माध्यम से, यूपी राज्य ने, सार और प्रभाव में, न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा (सेवानिवृत्त), प्रतिवादी संख्या 2 को फिर से नियुक्त किया है। यूपी राज्य के लोकायुक्त के रूप में इस तथ्य के बावजूद कि उनका छह साल का कार्यकाल 15.03.2012 को पहले ही समाप्त हो चुका था। अधिनियम की धारा 5(3) के संदर्भ में लोकायुक्त की पुनर्नियुक्ति के खिलाफ वैधानिक रोक है ।

11) श्री वेणुगोपाल ने आगे कहा कि संशोधन अधिनियम पारित करके, राज्य सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसके बारे में उनका मानना है कि यह सुनिश्चित करेगा कि मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों और राजनीतिक समर्थकों को भ्रष्टाचार के कृत्यों के बावजूद संरक्षित किया जाएगा, जिसमें वे शामिल हो सकते हैं। न्यायमूर्ति मेहरोत्रा (सेवानिवृत्त) की पुनर्नियुक्ति, जिन्होंने कार्यालय छोड़ दिया था और उन्हें किसी भी पद पर रहने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, ने अधिनियम की धारा 3 में निहित सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज कर दिया, जो अशनशोधित है।

12) यह आगे प्रस्तुत किया गया कि संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा भी पारित नहीं किया गया था और इस प्रकार, कानून की नजर में यह महज कागज का टुकड़ा है। विचाराधीन विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जबकि प्रथम दृष्टया, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 199(1) और 199(2) में परिभाषित अनुसार कभी भी धन विधेयक नहीं कहा जा सकता था। चूँकि एक साधारण विधेयक के लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और राज्यपाल की सहमति एक असम्पूर्ण और अपूर्ण विधेयक के लिए प्राप्त की गई थी, जो भारत के संविधान के तहत अनिवार्य

आवश्यकताओं से भी नहीं गुजरा था, पूरी कार्रवाई असंवैधानिक थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लंघन था ।.

13) यूपी राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अशोक एच.देसाई ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका स्वयं कानून या तथ्यों के आधार पर सुनवाई योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अभाव में, अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान रिट याचिका साफ हाथों से दायर नहीं की गई है। श्री देसाई ने बताया कि याचिकाकर्ता ने केवल सरसरी तौर पर कहा है कि वह एक प्रैक्टिसिंग वकील है, जो निष्पक्ष और स्पष्ट बयान नहीं है।

याचिकाकर्ता मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ५९१

[पी. सदाशिवम, सीजेआई] ने श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, यूपी (वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के नेता/यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता) के प्रॉक्सी के रूप में रिट याचिका दायर की है, जिनके खिलाफ, अन्य लोगों के साथ, प्रतिवादी संख्या 2 ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में कार्रवाई की अनुशंसा की है. यहां याचिकाकर्ता, मो. सईद सिद्दीकी, प्रतिवादी नंबर 2 के समक्ष श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत में श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे का एजेंट/प्रतिनिधि (पैरोकार) था और उसने वर्तमान रिट याचिका, साथ ही अपनी पिछली रिट याचिका, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के प्रॉक्सी के रूप में दायर की है।

14) यह आगे प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता, परोक्ष उद्देश्यों के लिए, वैध विधायी और कार्यकारी कार्यों पर सवाल उठा रहा है। रिट याचिका, जो एक सार्वजनिक शिकायत के निवारण की आड़ में दायर की गई है, उसमें प्रामाणिकता का अभाव है और यह द्वेष और दुर्भावना का परिणाम है, जिसे याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ रिपोर्ट बनाने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ दायर किया है। वर्तमान रिट याचिका में और अपनी पिछली रिट याचिका में भी, याचिकाकर्ता ने गंभीर आरोपों के संबंध में कार्रवाई/जांच को रोकने के लिए लोकायुक्त के कार्यालय में प्रतिवादी नंबर 2 के योग्यता पर सवाल उठाकर एक और संपार्श्विक हमला किया है। प्रतिवादी संख्या 2 की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार की जाच का आदेश दिया गया है।

15) इसके अलावा, राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने यह जांचने के लिए क्वा वारंटो की रिट की मांग करके एक अतिरिक्त हमला किया है कि प्रतिवादी नंबर 2 किस अधिकार से लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश का कार्यालय संभाल रहा है और साथ ही साथ, उन्होंने उसी कानून की वैधता को चुनौती दी है जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 उक्त पद धारण कर रहा है, जो स्थापित कानून के तहत अनुमति योग्य नहीं है। यह राज्य का रुख है कि क्वा वारंटो की रिट में, यह पूछताछ करते समय कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से सार्वजनिक पद धारण करता है, उस कानून या वैधानिक प्रावधान की वैधता पर संपार्श्विक हमला करने की

अनुमति नहीं है जिसके तहत वह पद धारण किया जा रहा है। . इस प्रकार, क्वा वारंटो रिट का दायरा सीमित है, जिसके आधार पर यह पूछताछ की जा सकती है कि कोई व्यक्ति किस प्राधिकार से सार्वजनिक पद पर है, लेकिन उस प्राधिकार की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इस आलोक में, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह के संपार्श्विक हमले के लिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

16) श्री देसाई ने यह भी कहा कि विचाराधीन विधेयक

५९२ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 5 एस.सी.आर.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 199(1) के मद्देनजर स्पष्ट रूप से एक धन विधेयक था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का दावा संवैधानिक प्रावधानों, जैसे संविधान के अनुच्छेद 199(3) और 212 द्वारा वर्जित है। याचिकाकर्ता का यह दावा कि विधेयक केवल विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया, गलत धारणा है। याचिकाकर्ता ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया है कि चूंकि विचाराधीन विधेयक एक धन विधेयक था, इसलिए, यह तर्क कि इसे अकेले विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, गलत धारणा है। अंत में, श्री देसाई ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 2 सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित एक वैध कानून, अर्थात संशोधन अधिनियम के तहत लोकायुक्त का पद संभाल रहा है ।

17) डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने श्री देसाई द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण को दोहराया और प्रासंगिक प्रावधानों को भी बताया।

18) न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा (सेवानिवृत्त), प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन ने श्री देसाई द्वारा उठाए गए तर्कों को दोहराया। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिका और अन्य संबंधित मामलों को दायर करने का वास्तविक उद्देश्य यूपी सरकार के कई पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के संबंध में प्रतिवादी नंबर 2 की रिपोर्ट पर कार्रवाई को रोकना है। जिनमें से एक हैं श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, यूपी

19) डॉ. धवन ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का प्रॉक्सी है। इसके अलावा, जब संशोधन अधिनियम लागू किया गया था तब श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी दोनों यूपी विधानमंडल के सदस्य थे। तदनुसार, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी या उनकी पत्नी द्वारा उक्त संशोधन अधिनियम को कोई भी चुनौती सुनवाई योग्य नहीं होगी क्योंकि वे, राज्य विधानमंडल के मौजूदा सदस्यों के रूप में, उसी राज्य विधानमंडल की कार्रवाई पर हमला नहीं कर सकते हैं और उसे खारिज नहीं कर सकते हैं।

20) डॉ. धवन ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 2 को 16.03.2006 को यूपी के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था और वह

15.03.2012 के बाद एक वैध कानून, अर्थात, संशोधन अधिनियम के तहत इस पद पर बने हुए हैं, जिसे सक्षम

मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ५९३ [पी. सदाशिवम, सीजेआई]

विधायिका द्वारा विधिवत रूप से अधिनियमित किया गया है ।यह आग्रह किया गया कि मनी बिल के संबंध में याचिकाकर्ता की दलीलें निराधार हैं और बताया गया कि वर्ष 1981 और 1988 में अधिनियम में पहले के दो संशोधन भी मनी बिल के माध्यम से थे, जिसे याचिकाकर्ता ने छुपाया है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि अध्यक्ष के निर्णय और विधायी प्रक्रिया की अंतिमता को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

21) हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और सभी प्रासंगिक सामग्रियों का अध्ययन किया है।

बहस:

22) उठाए गए सभी विवादों/मुद्दों में, मुख्य चुनौती यूपी लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 की वैधता से संबंधित है। दोनों पक्षों के दावे पर विचार करने के लिए, प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करना उपयोगी है। . यूपी राज्य ने यूपी लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 (यूपी अधिनियम 42, 1975) नामक एक

अधिनियम लाया है। उक्त अधिनियम कुछ मामलों में मंत्रियों, विधायकों और अन्य लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों और चुनावों की जांच के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति और कार्यों का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम 12.07.1977 को लागू हुआ।

23) धारा 2(ई) 'लोकायुक्त' को परिभाषित करती है जो इस प्रकार है:

"लोकायुक्त" का अर्थ है धारा ३ के तहत लोकायुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति और "उप-लोकायुक्त" का अर्थ है धारा 3 के तहत उप-लोकायुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति ।

24) धारा 3 लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है जो इस प्रकार है:

> "3. लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति-(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच करने के उद्देश्य से, राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त करेंगे,
>
> ५९४ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 5 एस.सी.आर.
>
> एक व्यक्ति को जो लोकायुक्त के रूप में जाना जाएगा और एक या अधिक व्यक्तियों को उप-लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के रूप में जाना जाएगा: बशर्ते कि-

(ए) लोकायुक्त की नियुक्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधान सभा में विपक्ष के नेता के परामर्श के बाद की जाएगी और यदि ऐसा कोई नेता नहीं है तो इसके लिए विपक्श के सदस्यों द्वारा एक व्यक्ति को चुना जाएगा। उस सदन में उस तरीके से, जैसा अध्यक्ष निर्देशित करे;

(बी) उप-लोकायुक्त या उप-लोकायुक्तको की नियुक्ति लोकायुक्त से परामर्श के बाद की जाएगी:

बशर्ते कि जहां विधान सभा अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण पूर्ववर्ती परंतुक के खंड (ए) के अनुसार विपक्ष के नेता से परामर्श करना व्यावहारिक नहीं है, तो वह राज्यपाल को सूचित कर सकता है। विधान सभा में विपक्ष का कोई अन्य सदस्य से विपक्ष के नेता के बजाय उस खंड के तहत परामर्श दिया जा सकता है।

(2) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष

पहली अनुसूची इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) उप-लोकायुक्त लोकायुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे और विशेष रूप से इस अधिनियम के तहत जांच के सुविधाजनक निपटान के उद्देश्य से, लोकायुक्त कोई भी सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकते हैं, जिसे वह उप-लोकायुक्त के लिए आवश्यक समझ सकते हैं।

बशर्ते कि इस उप-धारा में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि

मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ५९५ [पी. सदाशिवम, सीजेआई]

वह लोकायुक्त को उप-लोकायुक्त के किसी निष्कर्ष या सिफारिश पर सवाल उठाने के लिए अधिकृत करती है।"

25) धारा 5 लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त के कार्यालय की शर्तों और सेवा की अन्य शर्तों के बारे में बताती है जो इस प्रकार है:

"5. लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की कार्यालय शर्तें और सेवा की अन्य शर्तें।-

(1) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु यहकि,

(ए) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकता है;

(बी) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को धारा 6 में निर्दिष्ट तरीके से पद से हटाया जा सकता है ।

xxx xxx xxx (3) पद पर बने रहने पर, लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त आगे के रोजगार के लिए अयोग्य होगा (चाहे लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के रूप में) या उत्तर प्रदेश सरकार के तहत किसी अन्य क्षमता में या किसी भी पद के लिए ऐसे किसी स्थानीय प्राधिकरण निगम के अंतर्गत रोजगार या कार्यालय। सरकार, कंपनी या सोसायटी जैसा कि धारा 2 के खंड *(1) के उप-खंड *(v) में संदर्भित है ।

(4) लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों को ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

26) धारा 20ए वेतन और भत्तों के बारे में बताती है जो इस प्रकार है:

"20ए. संचित निधि पर लगाया जाने वाला व्यय.- इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्तों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन, उनके कर्मचारियों और कार्यालय से संबंधित व्यय और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में अन्य समेकित व्यय उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा।"

27) राज्य द्वारा यह उजागर किया गया है कि उक्त अधिनियम के तहत, न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा (सेवानिवृत्त) को दिनांक 09.03.2006 की अधिसूचना के माध्यम से लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। यह भी उजागर किया गया है कि चूंकि न्यायमूर्ति मेहरोत्रा (सेवानिवृत्त) का कार्यकाल उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत छह साल की अवधि पूरी होने के बाद 15.03.2012 को समाप्त हो गया था और कोई निर्णय नहीं हुआ था। लोकायुक्त के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निर्णय लिया जाना था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के निर्णय में समय लगेगा, लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रावधान के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। -लोकायुक्त छह साल से आठ साल तक या जब तक उसका उत्तराधिकारी

उसके पद पर नहीं आ जाता। प्रारंभ में, राज्य सरकार ने एक अध्यादेश प्रख्यापित किया, जिसका नाम था, यूपी लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश 2012 (2012 का यूपी अध्यादेश संख्या 1)। इसे अधिनियम, अर्थात् यूपी लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का यूपी अधिनियम 4) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उक्त अध्यादेश एवं अधिनियम के अनुसार, धारा 2 से संबंधित संशोधन 15.03.2012 को लागू माना जाएगा और शेष प्रावधान तुरंत लागू होंगे। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लाए गए संशोधनों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है, जो इस प्रकार हैं:

" यूपी अधिनियम संख्या 42 सन् 1975 की धारा 5 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 5 में , इसे इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है।-

मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ५९७ [पी. सदाशिवम, सीजेआई]

(ए) उप-धारा (1) के लिए निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी और 15 मार्च 2012 को प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:-

"(1) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से आठ वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी उनके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता।

परन्तु यह भी कि,-

(ए) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखकर, अपना पद त्याग सकता है:

(बी) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को धारा 6 में निर्दिष्ट तरीके से पद से हटाया जा सकता है ।

(बी) उप-धारा (3) के लिए निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी और 15 मार्च 2012 को प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:-

"(3) पद पर न बने रहने पर, लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के तहत आगे के रोजगार के लिए अयोग्य होगा"

(सी) उप-धारा (5) के बाद निम्नलिखित उप-धारा डाली जाएगी, अर्थात्:-

"(6) उत्तर प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा किया गया संशोधन-

उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर मौजूदा लोकायुक्त या उप-लोकायुक्तों, जैसा भी मामला हो, पर भी लागू होगा।

धारा 13 का संशोधन

५९८ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 5 एस.सी.आर.

(5-बी) इस अधिनियम के तहत किसी भी आरोप की जांच के बाद, यदि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त संतुष्ट है कि ऐसी जांच के परिणामस्वरूप संबंधित लोक सेवकों के साथ अन्याय हुआ है या मानहानि हुई है, तो वह उनके आवेदन पर कार्रवाई कर सकता है। ऐसे लोक सेवक को, जिसे अन्याय या मानहानि के कारण कोई हानि हुई हो, उपधारा (5-ए) के तहत शिकायतकर्ता पर लगाई गई कोस्ट में से कोस्ट की अधिकतम राशि से अधिक नहीं , कारणों को दर्ज करते हुए मुआवजा प्रदान कर सकता है ।और ऐसा मुआवजा राज्य की संचित निधि पर लगाया जाएगा।

धारा 20-ए का संशोधन "

मूल अधिनियम की धारा 20-ए के लिए, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"20-ए. इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्तों को या उनके संबंध में देय वेतन, भत्ते और पेंशन, उनके कर्मचारियों और कार्यालय से संबंधित व्यय और अन्याय या मानहानि और अन्य व्यय के कारण धारा 13, उप-धारा (5-बी) के तहत लोक सेवक को दिए गए मुआवजे की राशि इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य की समेकित निधि पर लगाया गया व्यय होगा ।

28) हमने पहले ही कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए अध्यादेश और अधिनियम लाने का उद्देश्य नोट कर लिया है। इस तरह के संशोधन लाने के लिए सरकार की मंशा को और समझने के लिए, "उद्देश्यों और कारणों" के कथन को संदर्भित करना उपयोगी है, जो इस प्रकार है:

"उद्देश्यों एवं कारणों का कथन:-

उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 (यूपी अधिनियम संख्या 42 का 1`975) मंत्री, विधायकों और अन्य लोक सेवकों के खिलाफ कुछ खास मामलों में शिकायतों और आरोपों

की जांच के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति और कार्यों का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। । उक्त अधिनियम के तहत श्री नरेंद्र किशोर मेहरोत्रा को अधिसूचना संख्या40 एलओ.एए/39-4-2006-15(5) 2006, के तहत दिनांक 9 मार्च 2006 को लोकायुक्त नियुक्त किया गया था।, उनके कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से। 16 मार्च, 2006 को शपथ लेने के बाद श्री मेहरोत्रा ने अपना कार्यालय शुरू किया । उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के तत्कालीन प्रावधानों के तहत छह साल की अवधि पूरी होने के बाद श्री मेहरोत्रा का कार्यकाल 15 मार्च, 2012 को समाप्त हो गया था। और लोकायुक्त के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया था। चूंकि किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने के निर्णय में समय लगेगा, इसलिए लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों का कार्यकाल छह साल से बढ़ाकर आठ साल या जब तक उनका उत्तराधिकारी अपने पद पर नहीं आ जाता, तक का कार्यकाल उक्त अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आगे की नियुक्ति के लिए लोकायुक्त या उप-लोकायुक्तों की अयोग्यता को सीमित करने के लिए, और मौजूदा

लोकायुक्त या यूपी-लोकायुक्तों पर उक्त प्रावधान लागू करने के लिए, जैसा भी मामला हो, 15 मार्च को, 2012 को.

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और तत्काल विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का यूपी अध्यादेश संख्या 1) राज्यपाल द्वारा 22 मार्च, 2012 को प्रख्यापित किया गया ।

29) हालांकि इन मामलों में पूर्व मंत्रियों और सरकार से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2-लोकायुक्त द्वारा पारित विभिन्न सिफारिशों/आदेशों की खूबियों के बारे में श्री केके वेणुगोपाल के साथ-साथ श्री देसाई द्वारा विस्तृत तर्क दिए गए हैं। हम मुख्य रूप से संशोधन अधिनियम की वैधता और प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी लोकायुक्त के रूप में बने रहने को लेकर सम्बन्धित हैं।

30) याचिकाकर्ता की मुख्य आशंका यह है कि जिस विधेयक के कारण

६०० सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 5 एस.सी.आर.

संशोधन अधिनियम लागू हुआ, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 197 और 198 का उल्लंघन करते हुए धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था, जिसे दोनों सदनों यथा: यूपी विधान सभा और यूपी विधान परिषद द्वारा पारित किया जाना चाहिए था और गलत तरीके से केवल यूपी

विधान सभा द्वारा पारित किया गया था। सुनवाई के दौरान, यूपी सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देसाई ने विधान सभा की कार्यवाही, अध्यक्ष के साथ-साथ राज्यपाल के निर्णय से संबंधित मूल रिकॉर्ड रखे, जिस पर हम, हमारे निर्णय के बाद के भाग चर्चा मे करने जा रहे हैं।।

31) संविधान का अनुच्छेद 199 "धन विधेयक" को परिभाषित करता है, जो इस प्रकार है:

"199-"धन विधेयक" की परिभाषा

(1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, एक विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि इसमें केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, अर्थात्:-

(ए) किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन;

(बी) राज्य द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, या राज्य द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी वित्तीय दायित्व के संबंध में कानून में संशोधन;

(सी) राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसे किसी भी निधि में धन का भुगतान या धन की निकासी;

(डी) राज्य की संचित निधि से धन का विनियोग;

(ई) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, या ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना;

मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ६०१ [पी. सदाशिवम, सीजेआई]

(च) राज्य की संचित निधि या राज्य के सार्वजनिक खाते से धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा या जारी करना; या

(छ) उप-खंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी मामले से संबंधित कोई भी मामला।

(2) किसी विधेयक को केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि इसमें जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाने, या लाइसेंस के लिए शुल्क की मांग या भुगतान या प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क, या इस कारण से प्रावधान है या स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी भी

स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा किसी भी कर को लगाने, समाप्त करने, छूट देने, परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान करता है।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि जिस राज्य में विधान परिषद है, वहां के विधानमंडल में पेश किया गया कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर ऐसे राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(4) प्रत्येक धन विधेयक जब अनुच्छेद 198 के तहत विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है, और जब इसे अनुच्छेद 200 के तहत सहमति के लिए राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाता है, तो विधान सभा के अध्यक्ष का उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थन किया जाएगा कि यह एक धन विधेयक है"

32) अनुच्छेद 212 का संदर्भ लेना भी उपयोगी है जो इस प्रकार है:

"212-न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे

(1) किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी अधिकारी या सदस्य, जिसमें विधानमंडल में प्रक्रिया या व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने, या व्यवस्था बनाए रखने के लिए

६०२ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 5 एस.सी.आर.

इस संविधान द्वारा या इसके तहत शक्तियां निहित हैं, किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होगा।

33) उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि अध्यक्ष के निर्णय की अंतिमता और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही राज्य विधानमंडल का महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है, अर्थात भाषण, बहस और कार्यवाही की स्वतंत्रता पर न्यायालयों द्वारा पूछताछ नहीं की जानी चाहिए। "विधानमंडल की कार्यवाही" में संसदीय कार्य के संचालन में किसी भी सदन में कही गई या की गई सभी बातें शामिल हैं, जो वर्तमान मामले में संशोधन अधिनियम का अधिनियमन है । इसके अलावा, अनुच्छेद 212 न्यायालयों को विधेयक पारित करने की प्रक्रिया का अनुपालन न करने के आधार पर, या अन्यथा सदन द्वारा पारित विधेयकों पर सवाल उठाने के आधार पर राज्यपाल की सहमति के लिए विधेयक की प्रस्तुति में हस्तक्षेप करने से रोकता है। स्पष्ट रूप से कहें तो, विधानमंडल के अंदर की कार्यवाही पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि वह कामकाज के नियमों के अनुसार नहीं चली है। यह अनुच्छेद 194 से भी स्पष्ट है जो विधानमंडल के

सदन और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों के बारे में बताता है।

34) हम पहले ही अनुच्छेद 199 उद्धृत कर चुके हैं। अनुच्छेद 199(3) के संदर्भ में, विधान सभा के अध्यक्ष का निर्णय कि विचाराधीन विधेयक एक धन विधेयक है, अंतिम है और उक्त निर्णय पर विवाद नहीं किया जा सकता है और न ही इसकी प्रक्रिया पर विवाद किया जा सकता है। अनुच्छेद 212 के आधार पर राज्य विधानमंडल पर सवाल नही उठाया जा सकता है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष लोकसभा और अन्य (2007) 3 एससीसी 184 में इस न्यायालय के फैसले में, यह माना गया है कि जो कार्यवाही ठोस या घोर अनियमितता या असंवैधानिकता के कारण दागी हो सकती है, उसे न्यायिक जांच से संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

35) भले ही यह स्थापित हो कि संशोधन अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया में कुछ 212 प्रखामियां थीं, संविधान के अनुच्छेद 255 के संदर्भ में प्रक्रियाओं के मामले उस अधिनियम को अमान्य नहीं करते हैं

मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ६०३

[पी. सदाशिवम, सीजेआई]

जिसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो द्वारा सहमति दी गई है

36) एमएसएम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा एआईआर 1960 एससी 1186 और मैंगलोर गणेश बीड़ी वर्क्स बनाम मैसूर राज्य और अन्य एआईआर 1963 एससी 589 के मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने माना कि

(i) एक अधिनियम की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह अनुच्छेद 197 से 199 और अनुच्छेद 202 में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है;

(ii) अनुच्छेदक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने से रोकता है; और

(iii) अनुच्छेद 255 में कहा गया है कि सिफारिश और पिछली मंजूरी की आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया का मामला माना जाएगा। आगे यह माना जाता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के अंदर की कार्यवाही की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया है और कोई भी अदालत उन सवालों पर नहीं जा सकती है जो स्वयं विधानमंडल का विशेष क्षेत्राधिकार के भीतर हैं। जिसके पास अपना कार्य संचालित करने की शक्ति है।

37) इसके अलावा, यह सवाल कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, केवल राज्य विधान सभा में उसके किसी सदस्य द्वारा उठाया जा सकता है जब विधेयक राज्य विधानमंडल में लंबित हो और अधिनियम बनने से पहले हो। यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि मौजूदा मामले में किसी ने भी ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया है।

38) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री केके वेणुगोपाल ने एक और तर्क भी उठाया है कि विधेयक केवल विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, दोनों सदनों द्वारा नहीं। दूसरे शब्दों में, उनके अनुसार, यह विधान परिषद द्वारा पारित नहीं किया गया था और इसलिए, संशोधन अधिनियम खराब है।

39) संविधान के भाग VI का अध्याय III राज्य विधानमंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों के गठन से संबंधित है। उक्त अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य विधानमंडल

६०४ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2014] 5 एस.सी.आर.

में राज्यपाल, विधान सभा और विधान परिषद शामिल हैं। किसी विधेयक पर राज्यपाल की सहमति के बाद, परिणामी अधिनियम राज्य विधानमंडल का अधिनियम है, बिना इसके सदनों के बीच कोई भेदभाव के, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दर्शाया है। हमने राज्य द्वारा रखे गए मूल रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया है और हम संतुष्ट हैं कि विधेयक के पारित होने

और संशोधन अधिनियम के अधिनियमन में कोई कमी नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है।

40) हालांकि यह दावा किया जाता है कि संशोधन अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित करके अधिनियमित नहीं किया जा सकता था क्योंकि विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करके अधिनियम नहीं बनाया गया था, जैसा कि ठीक ही बताया गया है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि यदि मूल अधिनियम के मामले में विधेयक धन विधेयक नहीं था, मूल अधिनियम में संशोधन के लिए कोई भी बाद का विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है। यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि अधिनियम को पहले यूपी लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा संशोधित किया गया था और इसे धन विधेयक पारित करके अधिनियमित किया गया था। 1988 के उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा, अधिनियम की धारा 5(1) में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया कि लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त का कार्यकाल पांच वर्ष के बजाय छह वर्ष होगा।

41) संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी करने के संबंध में, जैसा कि राज्य द्वारा ठीक ही बताया गया है, एक मानाहुआ खंड/कानूनी कल्पना को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए और उसको तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाना चाहिए। जैसा कि के. कामराज नादर बनाम

कुंजू थेवर एआईआर 1958 एससी 687 में दर्शाया गया है, एक कानूनी कल्पना का प्रभाव यह है कि जो स्थिती अन्यथा प्राप्त नहीं होगी वह उन परिस्थितियों में प्राप्त मानी जाती है। रखी गई सामग्रियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संशोधन अधिनियम एक सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त को आठ साल का कार्यकाल प्रदान करने के विधायी इरादे से अधिनियमित किया गया है। हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त के कार्यकाल को छह साल से बढ़ाकर आठ साल करना विधायी नीति का मामला है और इसे यह कहकर सीमित नहीं किया जा सकता है कि इसे केवल प्रतिवादी संख्या २ के लाभ के लिए अधिनियमित किया गया था।

मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ६०५

[पी. सदाशिवम, सीजेआई]

42) जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विधान सभा के अध्यक्ष का निर्णय कि विचाराधीन विधेयक एक धन विधेयक है, अंतिम है और उक्त निर्णय पर विवाद नहीं किया जा सकता है और न ही अनुच्छेद 212 के आधार पर राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा सकता है। इसके अलावा जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 252 यह भी दर्शाता है कि संविधान के तहत प्रक्रिया के मामले उस अधिनियम को

अमान्य नहीं करते हैं जिस पर राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, द्वारा सहमति दी गई है। चूँकि विचाराधीन विधेयक एक धन विधेयक था, अकेले विधान सभा द्वारा उक्त विधेयक को पारित करने के खिलाफ याचिकाकर्ता का विरोधाभासी तर्क अस्वीकार्य है।

43) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम मानते हैं कि प्रतिवादी नंबर 2 सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित एक वैध कानून, अर्थात उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 के तहत विधिवत रूप से लोकायुक्त, यूपी का पद संभाल रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित किया गया है। हालाँकि, हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त के कार्यालय के लिए नए पदधारी के चयन के लिए सभी प्रयास करें। आज से छह महीने की अवधि के भीतर.

44) इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। यूपी राज्य द्वारा दायर अपील और 2013 की टीसी (सी) संख्या 74 का उपरोक्त शर्तों पर निपटारा किया जाता है। यद्यपि हम प्रतिवादी संख्या 2-लोकायुक्त द्वारा लिए गए निर्णयों की योग्यता पर नहीं गए हैं, उन निर्णयों पर सवाल उठाने वाले मामले जो उच्च न्यायालय के इलाहाबाद/लखनऊ खंडपीठ में लंबित हैं, उन्हें गुण-दोष के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। उपरोक्त

निष्कर्ष 2012 के संशोधन अधिनियम को बरकरार रखता है । तदनुसार, स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

याचिकाऐ और अपिल निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशिल इन्टेलिजेंस टूल 'सुवास' कि सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रंजन सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्शकार को उस की भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।